भारत सरकार /Government of India
वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles
पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute commissioner
पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक/ Patsan Bhawan, CF Block,
सातंवा व आठवां तल, एक्शन एरिया-I / 7th & 8th Floor, Action Area-I
न्यूटाउन, कोलकाता/ Newtown ,Kolkata – 700156

फाइल संख्या :पटसन(विपणन)/106/2018 दिनांक: 16.06.2025

आदेश

पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 5 और 6(1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.05.2025 को जारी समसंख्यक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, मलय चंदन चक्रबर्ती, पटसन आयुक्त, एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि आप अपने स्वयं के खाते में और/ या तीसरे पक्ष के खाते में कच्चे जूट का स्टॉक नीचे दी गई तालिका के अनुसार काम करेंगें:-

	कच्चे जूट व्यापारी/डीलर/एजेंसियां/स्टॉकिस्ट/मिलों की श्रेणी	कच्चे जूट की अधिकतम मात्रा रखी जाएगी
(क)	(ख)	(ग)
1	बेलर जिनके पास एक ही परिसर में कच्चा जूट बेलिंग प्रेस है	500 क्विंटल
2	कच्चे जूट के अन्य सभी श्रेणियों के व्यापारी/डीलर/एजेंसी/ स्टॉकिस्ट	100 क्विंटल
3	जिन्होने इस कार्यालय आदेश दिनांक 05.03.2024 के अनुसरण में दिनांक 15.07.2024 के भीतर इस कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।	500 किलोग्राम
4	जूट मिलें/कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाली निर्माण इकाईयाँ	चालू उत्पादन दर के अनुसार 45 दिनों की खपत

2. मै आगे निदेश देता हूँ कि अगर यह धारित किए जा रहे कॉलम (बी) में उल्लिखित कच्चे जूट व्यापारियों की श्रेणी के अनुरुप कॉलम (सी) में उल्लिखित मात्रा से अधिक होती है तो इस आदेश की तारीख से 30 जून, 2025 के भीतर कच्चे जूट की अतिरिक्त मात्रा को बेच देंगे और 04 जुलाई, 2025 के भीतर परेषिती (कन्साइनी) को उक्त मात्रा की डिलिवरी वास्तविक रुप से करेंगे तथा उसके तुरंत बाद ईमेल (jcoffice@jutecomm.gov.in) द्वारा सत्यापन के लिए समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कच्चे जूट की अधिक मात्रा की बिक्री/डिलीवरी का उल्लेख करते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट भेजेंगे। अगर आपके पास उपर्युक्त सीमा से ज्यादा स्टॉक है, तो नए स्टॉक की खरीद तुरंत रोक दें जब तक कि स्टॉक उल्लिखित सीमा से नीचे ना आ जाए।

3. एक परिसर में स्टॉक किए गए कच्चे जूट को, चाहे ऐसे व्यापारियों/स्टॉकिस्टों के नाम भिन्न भिन्न क्यों न हो, इस आदेश की व्याख्या के प्रयोजनार्थ एक ही स्टॉक माना जाएगा, ऐसे अपवाद को छोड़कर जब उक्त जूट को एक वाणिज्यिक गोदाम में स्टॉक किया जाता हो और व्यापारी/स्टॉकिस्ट पृथक व्यापार लाइसेंस, पृथक पैन, पटसन आयुक्त के कार्यालय के साथ अलग पंजीकरण और गोदाम किराए के लिए अलग किराया अनुबंध/रसीद सभी एक साथ और सामूहिक रुप से प्रस्तुत करने में सक्षम हों।

4. यदि आप इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाते हैं तो आप पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 11 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय होंगे, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और किसी भी समय इसे संशोधित करने के अधिकार के तहत अगले आदेश तक वैध माना जाएगा।

6. मैं यह भी अनुदेश देता हूँ कि कच्चा जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाले जूट मिल/उत्पादन इकाईयों पर स्टॉक सीमा के संबंध में आयातित जूट को इस आदेश से छूट देने के मामले को, निर्यात प्रतिबद्धता या निजी बाजार में बिक्री दर्शाने वाले संगत दस्तावेज के साथ अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मामले- दर-मामले आधार पर विचार किया जाएगा।

-2/-

Sd/-

7. मैं आगे यह भी निर्देश देता हूँ कि यह आदेश भारतीय जूट निगम द्वारा खरीदे गए कच्चे जूट के स्टॉक पर लागू नहीं होगा।

8. इसके अलावा, उपर्युक्त आदेश के खंड 9(1) के उप-खंड (बी) और (सी) के अनुसरण मे, मैं राज्य पुलिस अधिकारियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों को परिसरों सहित गोदामों में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए तथा इस आदेश के जवाब में उनके द्वारा रखे गए स्टॉक को सही ढंग से घोषित किया गया है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए उनके कब्जे के अधीन उनके बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा पूर्व में जारी किए गए और फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के अनुपालन की जांच करने एवं कच्चे जूट को जब्त करने का जिसके बारे में उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे इस आदेश या जारी किए गए और फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के उल्लंघन में संग्रहित किया गया है तथा पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत अन्य कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, मैं सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निदेश देता हूँ।

S/d

डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित
दिनांक 16.06.2025 13:34:21
(मलय चंदन चक्रबर्ती)
पटसन आयुक्त

सेवा में,
(कच्चे जूट के सभी बेलर/व्यापारी/डीलर/एजेंसी/स्टॉकिस्ट)
(सभी जूट मिलें/कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाली निर्माण इकाईयाँ)